



Neutral Citation No. 2026:AHC:21397

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट बी संख्या- 59/ 2026

जूहा देवी

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता :

देवव्रत यादव राम प्रताप यादव

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता :

मुख्य स्थाई अधिवक्ता रामेश्वर

प्रसाद शुक्ला

न्याया कक्ष संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता की ओर से दायर पूरक शपथपत्र को अभिलेख पर लिया गया।
2. श्री आकाश यादव विद्वान अधिवक्ता जो याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राम प्रताप यादव की ओर से उपस्थित हुए राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से श्री राजेश कुमार तिवारी विद्वान अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता और प्रत्यर्थी-ग्राम सभा की ओर से श्री रामेश्वर प्रसाद शुक्ला विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।
3. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:

"परमादेश की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसमें प्रयागराज स्थित उ० प्र० राजस्व परिषद को यह आदेश दिया जाए कि वह उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 333 जिसे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 210 के साथ पढ़ा जाए के तहत दायर पुनरीक्षण संख्या आरईवी/85/2023 (कंप्यूटरकृत मुकदमा संख्या एएल202315060085 (जूहा देवी बनाम राज्य)) में दायर स्थगन आवेदन पर बिना किसी और विलंब के एक निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्णय ले और जब तक उक्त स्थगन आवेदन पर निर्णय नहीं हो जाता तब तक माननीय न्यायालय द्वारा न्याय के हित में पुनरीक्षण में चुनौती दिए जा रहे आदेश पर रोक लगा दी जाए।"

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि उ० प्र० जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 229बी के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर मुकदमा विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पक्ष में तय कर दिया था। उन्होंने कहा कि निजी प्रत्यर्थी ने समय सीमा से बाहर हो चुकी बहाली की अर्जी दायर की है और विचारण न्यायालय ने बहाली की अर्जी दायर करने में हुई देरी को माफ़ किए बिना और न ही बहाली की अर्जी को मंज़ूर किए बिना फ़ैसले और डिक्री पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि उ० प्र० भू राजस्व संहिता 2006 की धारा 333 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका जो विचारण न्यायालय

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



द्वारा 4.6.2021 को पारित उस आदेश के खिलाफ है जिसमें उ० प्र० जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 229बी के तहत मुकदमे के फ़ैसले और डिक्री पर रोक लगाई गई थी और जिसके साथ रोक लगाने की अर्जी भी है राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है इसलिए राजस्व परिषद को उचित निर्देश जारी किया जाए कि वह पुनरीक्षण याचिका में लंबित रोक लगाने की अर्जी पर फ़ैसला करे और जब तक राजस्व परिषद रोक लगाने की अर्जी पर फ़ैसला नहीं कर लेता तब तक पुनरीक्षण याचिका में चुनौती दिए गए आदेश पर रोक लगा दी जाए।

5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रत्यर्थी-गाँव सभा के अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता की ओर से वर्ष 2023 में दायर पुनरीक्षण याचिका अभी भी राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है इसलिए याचिकाकर्ता को इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करने के बजाय पुनरीक्षण की कार्यवाही में ही अपना पक्ष रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका एक समय पर पेश न होने के कारण खारिज कर दी गई थी इसलिए किसी भी अंतरिम सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है हालाँकि पुनरीक्षण याचिका को उसके मूल क्रमांक पर बहाल कर दिया गया है।

6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

7. इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा उस आदेश के विरुद्ध जिसमें उ० प्र० जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 229बी के तहत वाद में विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री पर रोक लगाई गई थी स्थगन आवेदन सहित दायर पुनरीक्षण याचिका वर्ष 2023 से ही प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद उ० प्र० प्रयागराज के समक्ष लंबित है।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना इस याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 उपर्युक्त पुनरीक्षण याचिका का निर्णय विधि के अनुसार संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् यथाशीघ्र अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 2 माह की अवधि के भीतर करे। यह भी निर्देशित किया जाता है कि पुनरीक्षण याचिका के गुणदोष पर निर्णय करने से पूर्व उसमें लंबित सभी आवेदनों का निस्तारण किया जाए।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

30 जनवरी 2026

सी. प्रकाश